20/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में यह ज्ञात है कि आवेदक द्वारा अपनी खातेदारी भूमि दूदनी (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नं. 359/717 रकबा 0.88 हेक्टर में आवागमन के लिये रिकार्ड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ख. नं. 381 रकबा 1.71 हेक्टर किस्म गै. मु. पहाड में से नये रास्ते की मांग की है। इस संबंध में R.I. बेडा व तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट पत्रांक : राजस्व/2022/2482 दि. 5-8-22 के अनुसार आवेदक के उक्त रास्ता प्रकरण में आवेदित भूमि ख. नं. 381 के साथ-साथ खसरा नं. 383 रकबा 0.30 हेक्टर श्मशान भूमि भी प्रभावित होगी। इस प्रकार आवेदित रूट में तहसीलदार बाली के प्रतिवेदन अनुसार खसरा नं. 383 रकबा 0.30 हेक्टर श्मशान प्रयोजन आरक्षित सेट अपार्ट भूमि है जो प्रतिबंधित गोचरी की भूमि होने से आवेदक को धारा 251 ए टीनेन्सी एक्ट के तहत नया रास्ता स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)